

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 16]

नई दिल्ली, अप्रैल 10—अप्रैल 16, 2005, शनिवार/चैत्र 20—चैत्र 26, 1927

No. 16]

NEW DELHI, APRIL 10—APRIL 16, 2005, SATURDAY/CHAITRA 20—CHAITRA 26, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि एवं न्याय मंत्रालय
(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2005

सा.का.नि. 122.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खण्ड 2 के अनुसरण में एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात्, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायविद श्री अजय नाथ राय, जिन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, उस अवधि तक जब तक कि वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहेंगे, अपने वेतन के अतिरिक्त 3000 रुपये (तीन हजार रुपये) प्रतिमाह का प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे।

[फा. सं. के.-11017/5/2003-यू.एस.-II]

डा. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Department of Justice)

New Delhi, the 14th February, 2005

G.S.R. 122.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely;

That Shri Justice Ajoy Nath Ray, Judge of the Calcutta High Court who has been appointed as Chief Justice, Allahabad High Court shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 3000/- (Rupees three thousand only) per month, for the period of his service as a Chief Justice of the Allahabad High Court.

[F.No. K-11017/5/2003-US-II]

Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2005

सा.का.नि. 123.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विलिंगडन अस्पताल और परिचर्या गृह (नर्सिंग होम) नई दिल्ली (वर्ग 3 पदों) भर्ती नियम, 1973 को, जहां तक उनका संबंध प्रयोगशाला सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में प्रयोगशाला सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, प्रयोगशाला सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य विशेष आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन-सह ज्येष्ठता या अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
प्रयोगशाला सहायक	29* (2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	3200-85- 4900 रु.	चयन	लागू नहीं होता	25 वर्ष। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त

करने के लिए निश्चित की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख को असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के सदुख खंड, हिमाचल प्रदेश के सवाई और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10

आवश्यक :

- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से विज्ञान विषयों में 10+2
- अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान से या उक्त प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य कानूनी निकाय से चिकित्सीय प्रयोग-शाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा।

आयु : लागू नहीं होता

दो वर्ष

शैक्षिक अर्हताएं : चिकित्सीय प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा होना चाहिए।

टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
---	---

11

12

50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा; और 50 प्रतिशत सीधे भर्ती द्वारा।

ऐसे प्रयोगशाला परिचरों में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में सत वर्ष नियमित सेवा की हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति में :

लागू नहीं होता।

- | | |
|--|----------|
| 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक | —अध्यक्ष |
| 2. विभागाध्यक्ष (विकृति विज्ञान) | —सदस्य |
| 3. उपनिदेशक (प्रशासन) | —सदस्य |
| 4. विभागीय प्रोन्नति समिति में एक अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सम्मिलित किया जा सकेगा | —सदस्य |

[फा. सं. ए-11018/30/2001-आर आर (एच)]

अजीत बी. चव्हाण, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 28th February, 2005

G.S.R. 123.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Willingdon Hospital and Nursing Home (Class III posts) Recruitment Rules, 1973 in so far as it relates to the post of Laboratory Assistant except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Laboratory Assistant in Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Laboratory Assistant (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, Age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other special grounds for such doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
Laboratory Assistant	29* (2005) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 3200-85 4900	Selection	Not applicable
Age limit for direct recruits		Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
7	8	9	10	11	
25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).	Essential : (i) 10+2 in Science subject from in recognized University or Board. (ii) Diploma in Medical Laboratory Technology from an Institute recognized by the All India Council of Technical Education or any other statutory body authorized by the Government for the purpose. Note : Qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent authority in case of candidates belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Age : Not applicable Educational Qualifications : Must possess recognized diploma in Medical Laboratory Technology.	2 years	50% by promotion failing which by direct recruitment and 50% by direct Recruitment	

1105 GI/05-2

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grade from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruit- ment
12	13	14
Promotion from amongst Laboratory Attendants with seven years regular service in the grade.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Additional Medical —Chairman Superintendent 2. Head of the Department —Member (Pathology) 3. Deputy Director —Member (Administration)	Not applicable.

[F.No. A-11018/30/2001-RR(H)]

AJIT B. CHAVAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2005

सा.का.नि. 124.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और प्रयोगशाला सहायक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1987 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में प्रयोगशाला सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली प्रयोगशाला सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय हैं और ऐसा करने के लिए अन्य विशेष आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन-सह ज्येष्ठता या अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
-----------	----------------	----------	---------	--------------------------------------	---	--

1	2	3	4	5	6	7
प्रयोगशाला सहायक	35* (2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	3200-85- 4900 रु.	चयन	लागू नहीं होता	25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से विज्ञान विषयों में 10+2 (ii) अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान से या उक्त प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य कानूनी निकाय से चिकित्सीय प्रयोग- शाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा।	आयु : लागू नहीं होता शैक्षिक अर्हताएं : चिकित्सीय प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा होना चाहिए।	दो वर्ष
टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।		

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा; और 50 प्रतिशत सीधे भर्ती द्वारा।	ऐसे प्रयोगशाला परिचरों में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की हो।
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति में :	लागू नहीं होता।
1. अपर चिकित्सा अधीक्षक	—अध्यक्ष
2. विभागाध्यक्ष (विकृति विज्ञान)	—सदस्य
3. उपनिदेशक (प्रशासन)	—सदस्य
4. विभागीय प्रोन्नति समिति में एक अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सम्मिलित किया जा सकेगा	—सदस्य

[फा. सं. ए-11018/30/2001-आर आर (एच)]

अजीत बी. चव्हाण, अवर सचिव

New Delhi, the 28th February, 2005

G.S.R. 124.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Laboratory Assistant in the Safdarjung Hospital, New Delhi (Group 'C' post) Recruitment Rules, 1987, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Laboratory Assistant in Safdarjung Hospital, New Delhi, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Safdarjung Hospital, New Delhi, Laboratory Assistant (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule.

4. Disqualification.—No person,

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other special grounds for such doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or Non-selection Post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.
1	2	3	4	5	6
Laboratory Assistant	35* (2005) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 3200-85 4900	Selection	Not applicable

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
7	8	9	10	11
25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt application from candidates in India (and not the closing date prescribed	Essential : (i) 10+2 in Science subjects from a recognized University or Board. (ii) Diploma in Medical Laboratory Technology from an Institute recognized by the All India Council of Technical Education or any other statutory body authorized by the Government for the purpose.	Age : Not applicable Educational Qualifications : Must possess recognized diploma in Medical Laboratory Technology.	2 years.	50% by promotion failing which by Direct Recruitment; and 50% by Direct Recruitment.

1105 GI/05-3

7	8
for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Note : Qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent authority in case of candidates belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grade from which promotion/ deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Promotion from amongst Laboratory Attendants with seven years regular service in the grade.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of ; 1. Additional Medical Superintendent —Chairman 2. Head of the Department (Pathology) —Member 3. Deputy Director (Administration) —Member	Not applicable.

[F. No. A-11018/30/2001-RR(H)]
AJIT B. CHAVAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2005

सा.का.नि. 125.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में आंकड़े प्रविष्टि आपरेटर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, आंकड़े प्रविष्टि आपरेटर, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरहता.**— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय असैनिक सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
आंकड़े प्रविष्टि आपरेटर	1 *(2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	4000-100- 6000 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के मध्यम (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर इस निमित्त जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से विज्ञान विषयों में 10+2; और (ii) आंकड़े प्रविष्टि कार्य में प्रति घंटा 8000 कुंजी अवनयन की गति से अन्यून। वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त संस्था से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा। टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन की किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।
भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	
11	12	
प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन द्वारा जिनके विफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी निकायों के उन अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन किया जा सकेगा; (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 3200-4900 रुपए के वेतनमान वाले पद पर, पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने 3050-4590 रुपए के वेतनमान वाले पदों पर, आठ वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिसके पास स्तंभ 8 में विहित, सीधी भर्ती के लिए अर्हताएं हैं। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
13	14	
विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक 2. रूधिर विज्ञान विभाग के अध्यक्ष 3. उपनिदेशक (प्रशासन)	लागू नहीं होता। —अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य	

[फा. सं. ए-12018/7/2003-आर आर/एच]

अजीत बी. चव्हाण, अवर सचिव

New Delhi, the 18th March, 2005

G.S.R. 125.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Data Entry Operator in the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, Data Entry Operator, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Data Entry Operator	01* (2005) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 4000-100-6000	Not applicable.	Between 18 to 25 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in Accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

1105 GI/05-4

Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
No.	Essential :— (i) 10 + 2 in Science subjects from a recognized University/Board; and (ii) Speed of not less than 8000 key depressions per hours for data entry work. Desirable : Diploma in Computer application from a recognized Institution. Note 1 :—Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : Qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes if, at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grade from which promotion/deputation/absorption to be made

11	12
By deputation (including short-term contract) or absorption failing which by direct recruitment.	Deputation (including short-term contract)/absorption from officers of the Central/State Government or Public Sector Undertakings/Autonomous bodies; (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years' regular service in post in the pay scale of Rs. 3200-4900; or (iii) with eight years' regular service in posts in the pay scale of Rs. 3050-4590; and (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits in Column 8. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Departmental Promotion Committee (for Confirmation) consisting of :— 1. Additional Medical Superintendent —Chairman 2. Head of the Department of Haematology —Member 3. Deputy Director Administration —Member	Not applicable

[F. No. A-12018/7/2003-RR/H]
AJIT B. CHAVAN, Under Secy.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग)

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2005

सा.का.नि. 126.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 1981 को जहां तक वे उपनिदेशक (प्रशासन) के पद से संबंधित है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 1997 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में उपनिदेशक (प्रशासन) और कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (उपनिदेशक प्रशासन और कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरहता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
1. उपनिदेशक (प्रशासन)	01* (2005) *(कार्यभार के आधार पर, परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसूचित	10,000-325- 15200 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।
रोज़ा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिचीक्षा की अवधि, भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या यदि कोई हो	प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	
7	8	9	10	11	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति	
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा		यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
12		13		14	
प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी— (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं: या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 8000-13500 रु. के अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास प्रशासन या स्थापना या लेखा विषयों में पांच वर्ष का अनुभव हो।		लागू नहीं होता		इन नियमों के किन्हीं उपबंधों का संशोधन या शिथिलीकरण करने के लिए संघ लोक सेवा अयोग से परामर्श करना आवश्यक है।	

12

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

1	2	3	4	5	6
2. कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	01* (2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजगन्तित, और अनुसचिवीय	6500-200-10500 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	संयुक्त विधि : प्रतिनियुक्ति-सह-प्रोन्नति

12	13	14
प्रतिनियुक्ति-सह-प्रोन्नति :—केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी—	लागू नहीं होता	इन नियमों के किन्हीं उपबंधों का संशोधन या शिथिलीकरण करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 5000—9000 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) ऐसे विभागीय अधीक्षक जिनके पास प्रशासन या स्थापना या लेखा विषयों में दो वर्ष का अनुभव हो।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

[सं. एफ 36-14/2003-ए.ई.6]

वाई. डी. मेहता, अवर सचिव

1105 GI/05-5

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Elementary Education and Literacy)

New Delhi, the 14th March, 2005

G.S.R. 126.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Adult Education (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment Rules, 1981, in so far as they relate to the post of Deputy Director (Administration), and the Ministry of Human Resource Development, Directorate of Adult Education, Junior Administrative Officer, Group 'B' Post Recruitment Rules, 1997, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Director (Administration) and Junior Administrative Officer in the Directorate of Adult Education, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Directorate of Adult Education, [Deputy Director (Administration) and Junior Administrative Officer] Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in Column (1) of the schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, and other qualifications etc.—The method of recruitment age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward classes Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or Non-selection post	Age Limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
1. Deputy Director (Administration)	01* (2005) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Ministerial	Rs. 10000-325-15200	Not applicable	Not applicable

Whether benefit of added years of service admissible	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruit will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades which promotion or deputation or absorption to be made

11	12
Deputation.	Deputation : Officers under the Central Government :— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 8000-13500 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing five years experience in administration or establishment or account matters. The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13	14
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary for amendment or relaxation of any provisions of these rules.

1	2	3	4	5	6
2. Junior Administrative Officer	01* (2005) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Ministerial	Rs. 6500-200-10500	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	2 years for promotees
11	12		
Composite method : Deputation plus promotion.	Deputation plus promotion : I. Officers under the Central Government— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5500-9000 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing two years experience in administration or establishment or accounts matters. II. The Departmental Superintendent in the pay scale of Rs. 5500-9000 with three years' regular service in the grade shall also be considered along with outsiders. In case he/she is elected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).		
13	14		
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion and for amending or relaxing any provision of these rules.		

[No. F. 36-14/2003-AE-6]

Y. D. MEHTA, Under Secy.

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2005

सा.का.नि. 127.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण [महानिदेशक, ज्येष्ठ उप महानिदेशक (संक्रियाएं) और ज्येष्ठ उप महानिदेशक (वैज्ञानिक और तकनीकी समर्थन सेवाएं)] भर्ती नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण [महानिदेशक, ज्येष्ठ उप महानिदेशक (संक्रियाएं) और ज्येष्ठ उप महानिदेशक (वैज्ञानिक और तकनीकी समर्थन सेवाएं)] भर्ती (संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण [महानिदेशक, ज्येष्ठ उप महानिदेशक (संक्रियाएं) और ज्येष्ठ उप महानिदेशक (वैज्ञानिक और तकनीकी समर्थन सेवाएं)] भर्ती (संशोधन) नियम, 2002 की अनुसूची में क्रम संख्यांक 3 में, ज्येष्ठ उप महानिदेशक (वैज्ञानिक और तकनीकी समर्थन सेवाएं) के पद और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
-----------	----------------	----------	---------	---------------------	--	---

1	2	3	4	5	6	7
'3' ज्येष्ठ उप- महानिदेशक (वैज्ञानिक और तकनीकी समर्थन सेवाएं)	01 (2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसूचितीय	22400-525- 24500/- रुपए	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12

प्रोन्नति, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसमें
अल्पकालिका संविदा सम्मिलित है।

प्रोन्नति :—

ऐसा उप महानिदेशक (भू-भौतिकी) या उप महानिदेशक (भू-रसायन) या उप
महानिदेशक (इंजीनियरी), जिसने अपनी श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की
है, जिसके न हो सकने पर ऐसा उप महानिदेशक (भू-भौतिकी)/उप महानिदेशक
(भू-रसायन)/उप महानिदेशक (इंजीनियरी) और निदेशक (भू-भौतिकी)/भू-
रसायन/इंजीनियरी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) की उस श्रेणी में संयुक्त रूप से
छः वर्ष नियमित सेवा की है जिसमें से न्यूनतम एक वर्ष की सेवा उप महानिदेशक
(भू-भौतिकी)/भू-रसायन/इंजीनियरी की श्रेणी में होगी।

टिप्पण :—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता
सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ
व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की
गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या
दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ
व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली
उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर
ली है।

प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) :—

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान
संस्थानों/अर्द्धसरकारी/कानूनी या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी :

11

12

(क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;

(ii) जिसने मूल काडर/विभाग में 18400-22400/- रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं :

(i) भू-भौतिकी/भौतिकी/अनुप्रयुक्त भौतिकी/समुद्री विज्ञान (भू-भौतिकी)/इलेक्ट्रॉनिक्स/रसायन शास्त्र/अनुप्रयुक्त भू-रसायनशास्त्र में एम.एस.सी. की उपाधि । इंजीनियरी स्नातक/यांत्रिक इंजीनियरी में प्रौद्योगिकी/खनन इंजीनियरी/इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार/यंत्रोपकरण/यंत्र प्रौद्योगिकी में स्नातक; और

(ii) खनिज खोज/भूवैज्ञानिक आलेखन/समुद्री भूविज्ञान, जिसके अंतर्गत इन क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप है, में अठारह वर्ष का अनुभव रखता है जिसमें कम से कम दस वर्ष पर्यवेक्षण क्षमता में होना चाहिए।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं) हैं साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, प्रोन्नति के लिए :—

1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग

—अध्यक्ष

2. सचिव, खान मंत्रालय

—सदस्य

3. महानिदेशक, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

—सदस्य

किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करते समय

(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं) और इन नियमों के किसी उपबंध को संशोधित या शिथिल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 16/2/2003-एम II]

विनोद कुमार, निदेशक

पाद टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा.का.नि. 195 तारीख 24 मई, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 736(अ) तारीख 5 नवम्बर, 2004 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 12th April, 2005

G.S.R. 127.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Geological Survey of India (Director General, Senior Deputy Director General (Operations) and Senior Deputy Director General (Scientific and Technical Support Services) Recruitment Rules, 2002, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Geological Survey of India Director General, Senior Deputy Director General (Operations) and Senior Deputy Director General (Scientific and Technical Support Services) Recruitment (Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Geological Survey of India (Director General, Senior Deputy Director General (Operations) and Senior Deputy Director General (Scientific and Technical Support Services) Recruitment (Amendment) Rules, 2002, for serial number 3 relating to the post of Senior Deputy Director General (Scientific and Technical Support Services) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted namely :—

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
"3. Senior Deputy Director General (Scientific and Technical Support Services)	01* (2005) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 22400-525-24500/-	Selection	Not applicable
Whether benefit of added years of service admissible		Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruit will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7		8		9	10
Not applicable		Not applicable		Not applicable	Not applicable
Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods			In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made		
11			12		
Promotion failing which by deputation including short-term contract.			Promotion :— Deputy Director General (Geophysics) or Deputy General Director (Geochemistry) or Deputy Director General (Engineering) with three years regular service in the respective grade, failing which 6 years combined regular service in the grades of Deputy Director General (Geophysics)/Deputy Director General (Geo-Chemistry)/Deputy Director General (Engineering) and Director (Geophysics/Geo-Chemistry/Engineering) (Non functional Selection Grade), out of which minimum one year service shall be in the grade of Deputy Director General (Geophysics/Geo-Chemistry/Engineering). Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility		

11

12

service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, which ever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Deputation (including short-term contract) :—

Officers under the Central Government/State Governments/Union Territory/Universities/Recognized Research Institutions/Semi Government/Statutory or Autonomous organizations :

- (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/Department; or
- (ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay scale of Rs. 18400-22400/- on equivalent in the parent cadre/Department; and
- (b) possessing the following Educational Qualifications and Experience :
 - (i) M.Sc. degree in Geophysics/Physics/Applied Physics/Marine Sciences (Geophysics)/Electronics/Chemistry/Applied Geochemistry/Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology in Mechanical Engineering/Mining Engineering/Electronics and Telecommunication/Instrumentation/Instrument Technology; and
 - (ii) having eighteen years of experience in Mineral Exploration/Geological Mapping/Marine Geology including research and development activities in these areas, of which at least ten years should be in a supervisory capacity.

The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

[The period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years].

The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13

14

Group 'A' Departmental Promotion Committee for promotion :
 1. Chairman/Member Union Public Service Commission—Chairman
 2. Secretary, Ministry of Mines—Member
 3. Director General Geological Survey of India—Member

Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract) and for amendment or relaxation of any provision of these recruitment rules".

[No. F. 16/2/2003-M II]

VINOD KUMAR, Director

Foot Note :—The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification under G.S.R. 195, dated the 24th May, 2002 and subsequently amended by notification number GSR 736(E) dated 5th November, 2004